राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1733/2025

राघव मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन, जयपुर।
3. आशीष कुमार सुरावत, सहायक अभियंता, जल संसाधन, उपखण्ड सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 07.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री हरि कृष्ण शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय बांयी मुख्य नहर, उपखण्ड, सीएडी, कापरेन बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सहायक लघु सिंचाई उपखण्ड सज्जनगढ, बांसवाड़ा में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को संमजित करने के उद्देश्य से 420 कि.मी. दूर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार बनाम सरकार में पारित आदेश के विरूद्ध किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया था। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक—3) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी की पत्नी भी राज्य सेवा में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड कोटा में कार्यरत है (अनुलग्नक—4)। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति—पत्नी को एक ही स्थान पर या आस—पास के रिक्त पद पर पदस्थापन किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलार्थी

स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय बांयी मुख्य नहर, उपखण्ड, सीएडी, कापरेन बूंदी में निरन्तर कार्य करने दिया जावें।

3. हमनें उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय बांयी मुख्य नहर, उपखण्ड, सीएडी, कापरेन, बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से सहायक लघु सिंचाई उपखण्ड सज्जनगढ़, बांसवाड़ा में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438 का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य